

प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

नोटेन ब्लॉक: 6723

कर्मसूल जिला शिक्षा अधिकारी (दैवा), मध्यप्रदेश

नाम: CENTRAL PUBLIC HS SCHOOL
CPS CHAKGHAT

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता

मान्यता दिनांक - 22/05/2020

संख्या - 2020-21

प्राप्ति (CENTRAL PUBLIC HS SCHOOL CPS CHAKGHAT)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 के पारा 18 के प्रयोग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रदान पर।

उल्लेख / महोदय,

आपके आवेदन पर दिनांक 25/02/2020 तथा इस संबंध में स्कूल से प्रधानमंत्री पर व्यक्तार / निरहुए के ग्रन्टमें में, मैं आपकी स्कूल - CENTRAL PUBLIC HS SCHOOL CPS CHAKGHAT डाइस नं. - 23140610504 स्कूल ब्लॉक - PS 6723 को कक्ष Nursery से 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2020 से 31/03/2023 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्थीरता निम्नलिखित शर्तों के पूर्णे के अध्ययन होगी :-

- मान्यता विस्तृत नहीं होगी तथा कक्ष 8 से आगे की मान्यता संवृद्धि की बोडे बाध्यता किसी भी रूप से विवरित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपरांती का पालन करेंगा।

• स्कूल, अपने पड़ोसी की हीमा के बचित समूह तथा कमज़ोर बड़ी के कालकरी के कक्ष 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवृत्त होगा। उस दशा में, स्कूल बड़ी सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवृत्त बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा होगा। उस स्कूल में उसके वार्षिक आवृत्ती दर्याएँ के पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवृत्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम प्रत्येक प्रतिशत के अधीन होगा बताते कि जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (पी स्कूल) शिक्षा हो जाती है वही अधिनियम विधा 12 के उपरांत (1) के छंड (क) से (ग) के उपरांत पी-स्कूल में प्रवृत्त के लिए लागू होगे।

- ऐत 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल के अधिनियम की पारा 12(2) के अनुसार दर्याएँ की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पूर्ण से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटीस्कूल कोडे और कैपिटेलन कीरत के संबंध नहीं करेंगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी उपनीज प्रक्रिया करे नहीं अपमाणित होगा।

• स्कूल किसी भी बालक को प्रवृत्त देने से इकार नहीं करेगा -

- (क) आपु के सबूत के आभाव में;
- (ख) यदि प्रवृत्त के लिए विहित की गई विस्तृत कालावधि के पारदर्शन ऐसा प्रवृत्त चाहा गया है;
- (ग) धर्म, जाति या भूत्वंश, उन्नस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।

• स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -

- किसी स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को किसी कक्ष में रोक या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
- किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
- प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक बालक को कोडे बोडे परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी;
- नियम 19 के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पर दिया जाएगा;
- अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्कताविशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
- अधिनियम कि पारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भर्ती कि जाएगी; बदले कि वर्तमान में कर्मसूल जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आहत नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 दिन कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आहत प्राप्त करनी होगी।

Signature Not Verified

Digitaly signed by RAM

NARESH PATEL

Date: 2020/05/23

00:45:59 PDT

Reason: Digitally Sign

Location: NTC

◦ शिक्षकों के अधिनियम कि पारा 24(1) के अधीन विनीरप्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा

◦ प्रायोगिक टीवीइंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेनगे

- स्कूल समुद्दित प्रारम्भिक दराएँ निर्धारित पारदर्शी का अनुसारण करेगा
- अधिनियम कि पारा 19 में विहित कि अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बदली का नामांकन किया जाएगा